एन-41013/27/2019-बीसी-II
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन ,
नई दिल्ली-110001

दिनांक: 4 फरवरी, 2021

एडवाइजरी

सेवा में,

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल

विषय: कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के अनुपालन पर एडवाइजरी

मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ टीवी चैनल ऐसे कार्यक्रम/विज्ञापन प्रसारित करते हैं जो अंधविश्वास और अंधश्रद्धा को बढ़ावा देते हैं। टीवी कार्यक्रमों/विज्ञापनों में स्व-घोषित उपदेशकों द्वारा सभी समस्याओं का चमत्कारी समाधान पेश किया जाता है, जो कार्यक्रम संहिता के नियम 6(1)(ञ) और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में निहित विज्ञापन संहिता के नियम 7(5) का उल्लंघन है। इस संबंध में इस मंत्रालय द्वारा पूर्व में दिनांक 13.05.2010 और दिनांक 07.06.2013 को एडवाइजरी जारी की गई है। कार्यक्रम संहिता के प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किए गए हैं।

नियम 6(1)(ञ) "केबल सेवा के माध्यम से कोई भी कार्यक्रम प्रसारित/पुनः प्रसारित नहीं किया जा सकता है जो अंधविश्वास या अंधविश्वास को बढ़ावा देता हो।"

नियम 7(5) "किसी भी विज्ञापन में ऐसे संदर्भ नहीं होंगे जिनसे जनता यह निष्कर्ष निकाले कि विज्ञापित उत्पाद या उसके किसी घटक में कोई विशेष या चमत्कारी या आलौकिक गुण या गुणवत्ता है, जिसे साबित करना मुश्किल है।"

कार्यक्रम संहिता के नियम 6(1)(ञ) और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के विज्ञापन संहिता के नियम 7(5) का पालन करें।

(जीसी एरोन)
निदेशक (बीसी)

दूरभाष: 23386394

प्रतिलिपि:

1. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कमरा नंबर 456-सी, कृषि भवन, नई दिल्ली
2. अध्यक्ष, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) और महासचिव, ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल (बीसीसीसी), बी-304, तीसरी मंजिल, अंसल प्लाजा, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली-110049 (ईमेल: ibf@ibfindia.com , bccc@bccc.co.in)
3. अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) और महासचिव, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड एसोसिएशन, मैनटेक हाउस, तीसरी मंजिल, सी-56/5, सेक्टर-2, नोएडा-201301 (ईमेल nba@nbanewdelhi.com , अथॉरिटी@nbanewdelhi | कॉम)
4. भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई), बी/7/17/ ऑरस चैंबर्स, एसएस अमरुतवार मार्ग, वर्ली, मुंबई-400018 (ईमेल: contact@ascionline.org)